न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस

उनवान विद्याधर गठाला बनाम महेन्दसिंह वगै0

किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं. –466/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	16/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य मे व्यस्त मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17/12/25 को पेश हो। (T)L	
17.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार रींगस से विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2025/4287 दिनांक 17.12.2025 प्राप्त हुआ । वकील वादी ने प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट के अनुसार ही अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं0 1 की ओर से कोई आपत्ति प्रकट नही की गयी अतः तहसीलदार रींगस द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव भू.अ./2025/4287 दिनांक 17.12.2025 के मुताबिक ही वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर निम्न रूपेण डिक्री किया जाता है किः– **आदेश** वादीगण का वाद तहसीलदार रींगस से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2025/4287 दिनांक 17.12.2025 के मुताबिक ही अन्तिम डिक्री किया जाता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। रहन संबंधित खातेदार के हिस्से में आयी भूमि पर दर्ज किया जावे। इसी भांति पर्चा डिक्री कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी रींगस, सीकर उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर) उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2025.12.30 16:40:19 IST
Reason: SelfAttested